न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— पूनम मीणा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 104 / 2025 **GCMS No. 2025/202 :— 2025 / 202**

प्यारेलाल पुत्र श्री रामानन्द जाति जांगिड़ निवासी थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

..........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना
2. अखिलेश जांगिड़ पुत्र रामकुमार
3. बहादूर जांगिड़ पुत्र रामकुमार
4. रामप्रताप जांगिड़ पुत्र रामकुमार

समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण थली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज०)

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—

1. श्री महावीर चौधरी	अभिभाषक	प्रार्थी
2. श्री रोहित पोषवाल	अभिभाषक	अप्रार्थी संख्या 2 से 4

—:निर्णयः— **दिनांकः— 24.12.2025**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दिनांक **24.03.2025** को इस आशय का पेश किया गया है कि :—

1. यह कि वाके ग्राम लाम्बी जाट की हाल पैमाईश का खसरा न0 228 रकबा 2.12 हैक्टर गत खसरा नम्बर 134 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 08 बिस्वा [illegible] है मिलान क्षेत्रफल एवं नई—पुरानी शीट मिलान हेतु पेश है।
2. यह कि गत खसरा नम्बर 134 व 130 से [illegible] आम रास्ता खसरा [illegible] 135 था जिसकी सर्वे शीट में चौड़ाई डेड गडडा यानि [illegible] मीटर थी जो कि हाल [illegible] पैमाईश

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.01 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उनवान

बनाम सरकार आदि

में राजस्व महकमा खसरा न0 158 (को पश्चिम का 04 मीटर चौड़ा भू भाग पश्चिम में रास्ता (खसरा न0 227 / 1) में मिला दिया एवं नक्शे में प्रार्थी के खेत की भी लम्बाई 04 मीटर कम कर दी। जबकि मौके पर प्रार्थी का खेत पुरानी पैमाईश के हिसाब से लम्बाई में है, परन्तु हाल पैमाईश में रास्ता 04 मीटर के बजाय रास्ता 08 मीटर करने से पडौसियों से विवाद होता रहता है। जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवा कर रास्ते की चौड़ाई पुरानी पैमाईश के हिसाब से 04 मीटर करवाने का अधिकारी है।

3. यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 02, 03, 04 ने दावा संख्या 58 / 2016 की डिक्री संख्या 58 / 2016 में नये खसरा नम्बर 158 रकबा 2.12 हैक्टर का विभाजन करवा लिया। जिसमें मुताबिक कुरेजात व डिक्री मिन खसरा नम्बर 260 / 158 रकबा 0.60 हैक्टर दक्षिण–पश्चिम का रास्ते के सहारे प्रार्थी के हिस्से में व खसरा नम्बर 158 रकबा 0.60 हैक्टर उत्तर–पश्चिम व उत्तर में सड़क के सहारे का अप्रार्थीगण के हिस्से में आया था परन्तु पटवारी हल्का ने मुताबिक कुरेजात में डिक्री के खसरा नम्बर 158 व 260 / 158 का इन्तकाल सही नही भरा गया एवं खसरा नम्बर 158 का उत्तर–पश्चिम का 0.60 हैक्टर प्रार्थी के नाम व अप्रार्थीगण के नाम दक्षिण पश्चिम का 260 / 158 अप्रार्थीगण के नाम कर दया। जिसकी मुताबिक डिक्री व कुरेजात दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

4. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) यह कि तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे कि वह प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 158 हाल ख.नं. 260 / 158 का पूरब पश्चिम रकबा 04 मीटर शीट में बढ़ाया जावे एवं रास्ते का 04 मीटर चौड़ा रकबा कम कर रास्ते की चौड़ाई 04 मीटर की जावे।

(ख) यह कि जमाबन्दी मे दर्ज ख.न. 158 रकबा 0.60 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थीगण 02, 03, 04 के नाम दर्ज की जावे। एवं ख.नं. 260 / 158 रकबा 0.60 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे।

(ग) यह कि खण्ड क, ख के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे।

5. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामील जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) से धारा 136 एल. आर. एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट इस न्यायालय के पत्रांक 222 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा ली गई। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1523 दिनांक 19.05.2025 से धारा 136 एल आर एक्ट में विस्तृत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना (राज.) जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.01 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बनाम सरकार आदि

नम्बर व तारीख

6. प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नया 25, 50 राजस्व ग्राम लाम्बी जाट, नकल नजरी नक्शा ग्राम लाम्बी जाट दिनांक 20.02.2025 द्वारा पटवारी हल्का लाम्बी अहीर, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल नकल क्रमांक 314 दिनांक 13.12.2023 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना, नकल मिसल हैकियत संवत 2042—2043 खाता संख्या 45 ग्राम लाम्बी जाट, नकल नक्शा ट्रेस सन् 1978—79, सन् 1937—38 ग्राम लाम्बी जाट द्वारा जिला कलेक्ट्रेट (भू.अ.) झुंझुनूं, नकल राजस्व वाद संख्या 58 / 2016 बउनवानी प्यारेलाल जांगिड़ बनाम विनोद कुमार आदि निर्णय दिनांक 12.04.2016, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 22.06.2016 ग्राम लाम्बी जाट पेश किये गये।

7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1523 दिनांक 19.05.2025 से अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार नामान्तरकरण संख्या 162 के अनुसार संलग्न रिपोर्ट पटवारी दुरूस्ती योग्य है।

8. अतः फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का लाम्बी अहीर दिनांक 14.05.2025 के आधार पर प्रार्थी का रिकार्ड दुरूस्ती की हद तक का अनुतोष खण्ड—ख स्वीकार कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

—: **आदेश** :—

9. अतः फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का लाम्बी अहीर दिनांक 14.05.2025 के आधार पर प्रार्थी का रिकार्ड दुरूस्ती की हद तक का अनुतोष खण्ड—ख स्वीकार कर राजस्व ग्राम लाम्बी जाट तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 25 में दर्ज खसरा नम्बर 158 रकबा 0.60 हेक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नाम से हिस्सा बराबर तथा खाता संख्या 50 में दर्ज खसरा नम्बर 260 / 158 रकबा 0.60 हेक्टेयर को प्रार्थी के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार बुहाना के नाम तहरीर जारी हो।

10. निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला ... (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2026.01.01 16:03:08 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना